Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00103

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 13/2016

1. किशोरीलाल पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति अग्रवाल साकिन रोहिड़ावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. फूलाराम पुत्र अमराराम जाति मेघवाल साकिन रोहिड़ावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचयत रोहिडावाली जरिये सरपंच, ग्रांम पंचायत रोहिड़ावाली।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री पृथ्वीराज शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश **दिनांक :–19.11.2020**

प्रस्तुत प्रार्थना का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम का श्रीमान के इस आश्य का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी फूलाराम को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.01.2005 को भूखण्ड विनियमित किया गया है वह पूर्व में ही प्रार्थी को दिनांक 21.10.1998 को आवंटित शुद्वा है। ग्राम पंचायत ने आवंटन से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रकिया की पालना नहीं की, पट्टा पर ना तो सचिव के ना ही सरपंच के हस्ताक्षर है तथा सरपंच ने अपने भाई को अप्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी को नाजायज लाभ देने के उदेश्य से आवंटन किया गया है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने से विनियमित विधि विरूद्व है। श्रीमान जी द्वारा दिनांक 13.08.2007 को निगरानी सिविल कोर्ट में मामला विचराधीन होने से निरस्त फरमा दी जिसकी रिट याचिका संख्या 5251/2007 माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर में दिनांक 22.07.2008 स्वीकार का प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। श्रीमान जी द्वारा निगरानी निरस्त फरमा दी जिसे श्रीमान जी द्वारा दिनांक 22.09.2015 को पुनः वाजवा नम्बर पर लिया गया। जिसे श्रीमान जी द्वारा बिना रिकार्ड के मंगवाये दिनांक 28.06.2016 को निरस्त फरमा दिया। श्रीमान जी द्वारा प्रश्नगत् निगरानीकृत आदेश दिनांक 01.01.2005 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से कोई मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही निर्णय पारित किया है जबकि अभिलेख फर्द अहकाम दिनांक 27.07.2011 से लेकर दिनांक 13.08.2013 तक मूल आवंटन पत्रावली फरमाई गई थी। इस प्रकार निगरानीकृत मूल आवंटन पत्रावली के अभाव में आदेश पुनर्विलोकन किये जाने योग्य है। निगरानीकृत आदेश दिनांक 01.01.2005 को प्रार्थी ने चुनौतिग्रस्त किया था लेकिन आदेश दिनांक 28.06.2016 में प्रार्थी को पूर्व आवंटित पट्टा पर विवेचित कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। दिनांक 28.06.2016 का कब्जा मुख्य धारा 145 प्रकिया संहिता का था जो स्वयंम पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय था द्वितीयक निर्णय दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.10.2007 माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 08.10.2007 को है निरस्त फरमा दिया गया। प्रकरण दोहरा आवंटन से सम्बन्धि था प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को आवंटित दिनांक 01.01.2005 को चुनौतिग्रस्त किया था जबकि श्रीमान जी द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 445 साईज 35X20 फुट का विवेचना कर कानूनी भूल की है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ब अनवानी किशोरीलाल बनाम फूलाराम निगरानी संख्या 41/2008 निर्णय दिनांक 26.06.2016 पर पुनः विचारा किया जाकर निगरानी स्वीकार फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पिता ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम का श्रीमान के इस आश्य का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी फूलाराम को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.01.2005 को भूखण्ड विनियमित किया गया है वह पूर्व में ही प्रार्थी को दिनांक 21.10.1998 को आवंटित शुद्वा है। ग्राम पंचायत ने आवंटन से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रकिया की पालना नहीं की, पट्टा पर ना तो सचिव के ना ही सरपंच के हस्ताक्षर है तथा सरपंच ने अपने भाई को अप्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी को नाजायज लाभ देने के उदेश्य से आवंटन किया गया है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने से विनियमित विधि विरूद्व है। श्रीमान जी द्वारा दिनांक 13.08.2007 को निगरानी सिविल कोर्ट में मामला विचराधीन होने से निरस्त फरमा दी जिसकी रिट याचिका संख्या 5251/2007 माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर में दिनांक 22.07.2008 स्वीकार का प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। श्रीमान जी द्वारा निगरानी निरस्त फरमा दी जिसे श्रीमान जी द्वारा दिनांक 22.09.2015 को पुनः वाजवा नम्बर पर लिया गया। जिसे श्रीमान जी द्वारा बिना रिकार्ड के मंगवाये दिनांक 28.06.2016 को निरस्त फरमा दिया। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अनवानी किशोरीलाल बनाम फूलाराम निगरानी संख्या 41/2008 निर्णय दिनांक 26.06.2016 पर पुनः विचारा किया जाकर निगरानी स्वीकार फरमाई जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार लिया है कि बिना मूल रिकॉर्ड मंगवाया जाकर निर्णय पारित किया गया है जबकि निगरानी प्रकरण संख्या 41/2008 अनवानी किशोरीलाल बनाम फूलाराम में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कही यह जिक्र नहीं किया गया कि मूल रिकॉर्ड नहीं मंगवाया गया है जिसके अभाव में बहस किया जाना सम्भव नहीं है । श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 41/2008 अनवानी किशोरी लाल बनाम फूलाराम निर्णय दिनांक 28.06.2016 जो पारित किया गया है वह उभयपक्ष को विधिवत् सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। निगरानी प्रकरण संख्या 41/2008 अनवानी किशोरीलाल बनाम फूलाराम वगैरा निर्णय दिनांक 28.06.2016 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि **'' ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली ने अपने पत्र दिनांक 17.04.2007 द्वारा न्यायालय को अवगत करवाया कि किशोरीलाल वगैरा के सम्बन्ध में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि 2000 से पहले का रेकार्ड ग्राम पंचायत से गुम है।''** रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की सूरत में विधिवत् सुनवाई की जाकर निगरानी प्रकरण संख्या 41/2008 अनवानी किशोरीलाल बनाम फूलाराम वगैरा निर्णय दिनांक 28.06.2016 में निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा...)

कलक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत रोहिड़वाली को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर